R 63-5/15

समक्षःन्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

1:— सुरेन्द्र कुमार त्रिवेदी आत्मज स्व. जगदीश प्रसाद त्रिवेदी

2:— श्रीमति शशि त्रिवेदी पत्नि स्व. श्री सच्चिदानंद त्रिवेदी

3:— अखिलेश त्रिवेदी आत्ज स्व.श्री सच्चिदानंद त्रिवेदी

तीनों निवासी रामवार्ड कन्देली तह. व जिला नरसिंहपुर

4:— श्रीमति संचिता दुबे आत्मज स्व. सच्चिदानंद त्रिवेदी

पत्नि रानरेश दुबे निवासी यादव कालोनी नरसिंहपुर

तहसील व जिला नरसिंहपुर

5:— श्रीमति पद्मा तिवारी आत्ज स्व. जगदीश प्रसाद त्रिवेदी

विधवा श्री रमेन्द्र भूषण तिवारी निवासी इतवारा बाजार

कन्देली नरसिंहपुर तहसील व जिला नरसिंहपुर .... आवेदकगण

श्री .... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
16 DEC 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

बनाम

1:— शिवकुमार त्रिवेदी आत्मज स्व. कामताप्रसाद त्रिवेदी

निवासी राममंदिर राम वार्ड कन्देली तह. व जिला नरसिंहपुर

2:— श्रीमति वाजपेई पत्नि प्रभात शंकर वाजपेई आत्मजा स्व.श्री कामता प्रसाद त्रिवेदी ग्राम पोस्ट राजेपुर जिला उन्नौर उ.प्र.

3:— श्रीमति विन्देश्वरी देवी पत्नि श्री अयोध्याप्रसाद त्रिवेदी

निवासी 13/55 सोमनाथ का अहाता परमिटधाट कानपुर उ.प्र.

4:— श्रीमति ुसधा अवस्थी पत्नि दिनेश नारायण अवस्थी आत्मजा श्री अयोध्याप्रसाद त्रिवेदी निवासी 13/55 सोमनाथ अहाता परमिट धाट कानपुर उ.प्र.

5:— श्रीमति मंजू त्रिवेदी पत्नि कमल त्रिवेदी निवासी फोर्ट रोड मच्छरदानी मोहल्ला टांसफार्मर के पास सरकारी कुआं रीवा म.प्र.

6:— श्रीमति रितू द्विवेदी आत्मज स्व. कमल त्रिवेदी पति प्रदीप कुमार त्रिवेदी निवासी 255/295 कुंडरी रकवावगंज लखनऊ उ.प्र.

OATH COMMISSIONER शपथ आयुक्त

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 63–एक/15 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01.3.16	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने उनके न्यायालय के आवेदक के साक्षी का प्रतिपरीक्षण अनावेदक राजेन्द्र वगैरह के अधिवक्ता श्री साकेत पटेल द्वारा किया गया है । शेष अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिपरीक्षण न किए जाने से उनका प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त करते हुए प्रकरण अनावेदक राजेन्द्र वगैरह के साक्ष्य हेतु नियत किया गया है । अभिलेख में आलोच्य आदेश के अतिरिक्त 23–11–15 की आदेश पत्रिका की प्रति संलग्न है जिसमें आवेदकों द्वारा मौखिक आपत्ति प्रस्तुत कर पुनः प्रतिपरीक्षण का अवसर दिए जाने का निवेदन किया गया है, जिसे इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त किया है कि उनका अवसर 16–11–15 को समाप्त किया गया है एवं आदेश पत्रिका के पुनरीक्षण की शक्ति उनको प्राप्त नहीं है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत होता है कि न्यायहित में एक अवसर आवेदकों को प्रतिपरीक्षण का दिया जाये । अतः अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके न्यायालय के आवेदक के साक्षी के प्रतिपरीक्षण का एक अवसर आवेदकों को न्यायहित में दें तदुपंरात प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	